

①

BEFORE THE HON'BLE COURT OF REVENUE BOARD, GWALIOR,

CAMP AT INDORE.

नं. - 1311-PBR-16

REVISION No. _____ /16

(1) Ghanshyam s/o Mangilal Rathore
Age: 50 Years, Occupation: Business
R/o: Village: Jhirniya, Tehsil: Jhirniya, Dist: Khargone.

कार्यालय आयुक्त इन्दौर संभाग इन्दौर
श्री विनय गोश्वरी
प्रार्थी/अभिभाषक द्वारा दिनांक 04.04.2016
को प्रस्तुत। ✓

(2) Rahulsingh s/o Ghanshyam Rathore
Age: 31 Years, Occupation: Business
R/o: Village: Jhirniya, Tehsil: Jhirniya, Dist: Khargone.

234/04-04-2016

अधीक्षक
आयुक्त कार्यालय

(3) Atulsingh s/o Ghansyam Rathore
Age: 27 Years, Occupation: Business
R/o: Village: Jhirniya, Tehsil: Jhirniya, Dist: Khargone.

_____ Applicants

VERSUS

Gulabbai d/o Gangaram w/o Mangilala Rathore
Age: Adult, Occupation: Household
R/o: Village: Jhirniya, Tehsil: Jhirniya, Dist: Khargone.

_____ Respondent

REVISION UNDER SECTION 50 M.P. LAND REVENUE CODE

Noted:-
21.04.16
Jh...

Revision under section 50 M.P. Land Revenue Code against the Order dated 16 August 2011 passed by the Sub Divisional Officer (Revenue), Rajpur, Dist: Barwani in case no. 28/A-6/appeal/2010-11 via which the learned Sub Divisional Officer has without jurisdiction and in breach of principles of natural justice behind the back of the Applicants, without duly serving notice on the Applicants, without giving any opportunity of hearing to the Applicants, set a side the Order dated 11 June 2010


of Remand

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1311-पीबीआर/16

जिला बडवानी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
17-1-18	<p>आवेदक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 16-8-2011 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । जिसके विरुद्ध इस न्यायालय में निगरानी दिनांक 4-4-2016 को लगभग चार वर्ष से भी अधिक विलम्ब से प्रस्तुत की गई है। आवेदक अधिवक्ता द्वारा बताया गया विलम्ब का कारण कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उसे आदेश की जानकारी नहीं देना बताया है, जबकि आवेदक अनुविभागीय अधिकारी के प्रत्यावर्तन आदेश के पालन में तहसील न्यायालय में दिनांक 24-3-2012 को उपस्थित भी हुआ है, इसलिये बताया गया विलम्ब कारण सद्भाविक मान्य नहीं किया जा सकता है। अतः यह निगरानी समय बाह्य होने से अग्राह्य की जाती है ।</p>	<p align="right">  अध्यक्ष </p>

(Handwritten signature)